

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 120 / 2019

निर्णय दिनांक —10.06.2019

देवस्थान चारभुजा नाथ मंदिर जरिये अध्यक्ष मथुरादास पिता हीरादास जाति बैरागी आयु 81 वर्ष निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. जसराज पिता पेमाजी जाति धाकड आयु 59 वर्ष निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. भेरूलाल पिता घीसालाल जाति धाकड आयु 50 वर्ष निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. लीलाशंकर पिता काशीराम जाति धाकड आयु 40 वर्ष निवासी कोचवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कोचवा पटवार हल्का बडावली तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 81 की आराजी नं0 340 रकबा 0.4200 हैक्टेयर आराजी नं0 341 रकबा 0.0900 हैक्टेयर आराजी नं0 342 रकबा 0.1200 हैक्टेयर आराजी नं0 344 रकबा 0.3900 हैक्टेयर आराजी नं0 345 रकबा 0.1900 हैक्टेयर आराजी नं0 346 रकबा 0.2100 हैक्टेयर आराजी नं0 347 रकबा 0.1500 हैक्टेयर आराजी नं0 348 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 349 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 350 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु.चाह. आराजी नं0 351 रकबा 1.2200 हैक्टेयर आराजी नं0 640 रकबा 0.7100 हैक्टेयर आराजी नं0 1037/1195 रकबा 0.6600 हैक्टेयर आराजी नं0 1037/1256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर गेमुचाह कुल किता 14 कुल रकबा 4.3900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 2000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कोचवा पटवार हल्का बडावली तह0 निम्बाहेड़ा की प्रार्थी की खाता संख्या 81 की आराजी नं0 340 रकबा 0.4200 हैक्टेयर आराजी नं0 341 रकबा 0.0900 हैक्टेयर आराजी नं0 342 रकबा 0.1200 हैक्टेयर आराजी नं0 344 रकबा 0.3900 हैक्टेयर आराजी नं0 345 रकबा 0.1900 हैक्टेयर आराजी नं0 346 रकबा 0.2100 हैक्टेयर आराजी नं0 347 रकबा 0.1500 हैक्टेयर आराजी नं0 348 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 349 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 350 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु.चाह. आराजी नं0 351 रकबा 1.2200 हैक्टेयर आराजी नं0 640 रकबा 0.7100 हैक्टेयर आराजी नं0 1037/1195 रकबा 0.6600 हैक्टेयर आराजी नं0 1037/1256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर गेमुचाह कुल किता 14 कुल रकबा 4.3900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

